जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर

(अल्पकालिन निविदा)

जिला नवाचार योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिले के **दस प्रखंडों हेतु 01 (एक–एक) अदद 05 (KVA)** का एवं **01 (एक) प्रखंड हेतु 20 (KVA) 3 फेज (ध्वनी रहित) जेनरेटर सेट** का क्रय किया जाना है। जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

सभी कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता जेनरेटर की आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एव वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 20.02.2014 को 3:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 20.02.2014 को 4:00 बजे अपराह्न में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्र0	सामग्री का नाम	कम्पनी	कुल
01	जेनरेटर 20 KVA(तीन फेज)	क्रिलोस्कर / महेन्द्रा	01
02	जेनरेटर 05 KVA(सीगल फेज)	क्रिलोस्कर / महेन्द्रा	10
कुल			11

निविदा की शर्त्तें

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखें जायेंगे।
   - I) जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से मो० ₹ 20,000/– (बीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एस०बी०आई०, ए०डी०बी० शाखा, समस्तीपुर में भुगतेय होगा।
   - II) बिहार बिक्रीकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भुगतान संबंधी स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   - III) आयकर रिटर्न 2012–13 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
   - IV) पैन सं० की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
   - V) निविदादाताओं को शपथ पत्र देना होगा कि वो काली सूची में कभी भी नहीं लाए गए है।
   - VI) वर्णित कार्यों में अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।,
   - VII) कोटेशन प्राप्ति के दिन सरकारी अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस में नियत समय तक निविदा प्राप्त की जाऐगी।
   - VIII) समानों का लिफलेट सलग्न करना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

अन्य शर्त्तें

3. स्वीकृत निविदादाता को सुसंगत शर्त्तों के अनुरूप एकरारनामा दाखिल करना होगा।
4. कार्यहित एवं सुविधा के दृष्टिकोण से न्यूनतम दर पर उक्त कार्यों को एक से अधिक निविदादाता को भी आवंटित किया जा सकता है।
5. आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
7. सामग्री की आपूर्त्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता मांग एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जाएगी।
8. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को मांग आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्त्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अनुलग्नक–सूची 5 प्रति में (सी०डी० सहित)।

(हस्ताक्षर) 3/2/14

जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर